

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.1(6)()स्था/NTT/ICDS/17/94639

जयपुर,दिनांक: 29-5-18

आदेश

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना सरकार की एक प्राथमिकता वाली योजना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थियों से फार्म भरवाकर महिला पर्यवेक्षक को जमा कराये जाते हैं। महिला पर्यवेक्षकों द्वारा इनका सत्यापन किया जाकर ऑनलाईन फीडिंग व भुगतान हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा कराये जाते हैं।

इस प्रकार इन फार्मों के सफलतापूर्वक फीडिंग के लिए जिन परियोजनाओं में महिला पर्यवेक्षकों के पद रिक्त हैं। उन परियोजनाओं में पीएमएमवीवाई फार्म से संबंधित उक्त कार्य करने के लिए उसी परियोजना के पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक (NTT) को कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत अस्थायी रूप से लगाये जाने के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)()स्था/NTT/ICDS/17/94640-978 जयपुर,दिनांक: 29-5-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 उपनिदेशक, एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
- 2 समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 3 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 4 आदेश पत्रावली।



उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।